

राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2016 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति बनाम 1. श्री कैलाश चन्द्र पुत्र भवाना रेगर
रायपुर जिला भीलवाडा निवासी नाथडियास तहसील रायपुर
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत
नाथडियास पंचायत समिति रायपुर
जिला भीलवाडा
- निगराकार – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. विभागीय पैरोकार – निगराकार की ओर से
2. श्री सुनील पारीक अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से
3. श्री के.सी. काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध दिनांक 29.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत नाथडियास की पूर्व सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार एवं सचिव बन्शी लाल कुम्हार ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हल्का के आराजी नम्बर 802 में कैलाश चन्द्र पुत्र भवाना रेगर निवासी नाथडियास को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत दिनांक 23.08.2013 को पट्टा क्रमांक 92 जारी किया गया । उक्त पट्टे की भूमि नाथडियास निवासी रामलाल /नेनुराम सालवी की आराजी नम्बर 757, 758, 759 से सटी है। जिसके संबंध में रामलाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार उक्त पट्टे की भूमि के संबंध में रामलाल पिता नेनु बलाई ने अपने वकील श्री फारुक मोहम्मद निवासी रायपुर के माध्यम से आपत्ति नोटिस दिनांक 10.12.2011 को रजिस्टर्ड डाक से सरपंच माया देवी सुथार को भिजवाया गया जिसकी पावती रसीद स्वयं सरपंच मायादेवी सुथार ने दी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस की सुनवाई नहीं कर, ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल बलाई को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिनांक 15.12.2011, 20.12.2011 को जारी किया गया जो न्यायोचित



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा (राज.)

नहीं हैं एवं इसी आराजी नम्बर 802 जो कि विवादित होते हुए भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम सं. 156 के तहत आपसी बातचीत में दिनांक 10.09.2012 को पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध हैं । अतः निगरानी दर्ज फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया । जिसके संदर्भ में दिनांक 18.12.17 को रिकार्ड प्राप्त हुआ। दिनांक 10.07.2017 को गैर निगराकार सं. 01 का जवाब पेश हुआ ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत नाथडियास की पूर्व सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार एवं सचिव बन्शी लाल कुम्हार ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हल्का के आराजी नम्बर 802 में कैलाश चन्द्र पुत्र भवाना रेगर निवासी नाथडियास को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत दिनांक 23.08.2013 को पट्टा क्रमांक 92 जारी किया गया। उक्त पट्टे की भूमि नाथडियास निवासी रामलाल /नेनुराम सालवी की आराजी नम्बर 757, 758, 759 से सटी है। जिसके संबंध में रामलाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार उक्त पट्टे की भूमि के संबंध में रामलाल पिता नेनु बलाई ने अपने वकील श्री फारुक मोहम्मद निवासी रायपुर के माध्यम से आपत्ति नोटिस दिनांक 10.12.2011 को रजिस्टर्ड डाक से सरपंच माया देवी सुथार को भिजवाया गया जिसकी पावती रसीद स्वयं सरपंच मायादेवी सुथार ने दी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस की सुनवाई नहीं कर, ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल बलाई को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिनांक 15.12.2011, 20.12.2011 को जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं हैं एवं इसी आराजी नम्बर 802 जो कि विवादित होते हुए भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम सं. 156 के तहत आपसी बातचीत में दिनांक 10.09.2012 को पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध हैं ।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 को किसी प्रकार से नियम विरुद्ध पट्टा जारी नहीं हुआ है। रामलाल पुत्र नेनु सालवी किसी प्रकार से पडौसी नहीं है, जो मौका रिपोर्ट देखने से साबित है। गैर निगराकार सं. 02 ने पट्टा बनाने की कार्यवाही विधिवत कार्यवाही की है व गैर निगराकार 01 द्वारा विधिवत आवेदन किया व मौका निरीक्षक व आवेदन व नक्शा फीस की रकम जमा करायी व नियमानुसार धारा 146 पंचायत राज अधिनियम के तहत 3 सदस्यों की कमेटी में मांगूदास, हेमराज, रोशनदास को नियुक्त किया गया व धारा 148 के तहत 01 माह की आपत्ति निकाली गयी व तत्पश्चात् तत्समय बाजार दर अनुसार विधिवत तौर पर 61,250/-रूपये गैर निगराकार सं. 01 से प्राप्त कर विधिवत पट्टा जारी किया गया है,



गैर निगराकार सं. 01 को किसी प्रकार से नियम विरुद्ध पट्टा जारी नहीं हुआ है। रामलाल पुत्र नेनु सालवी किसी प्रकार से पडौसी नहीं है, जो मौका रिपोर्ट देखने से साबित है। गैर निगराकार सं. 02 ने पट्टा बनाने की कार्यवाही विधिवत कार्यवाही की है व गैर निगराकार 01 द्वारा विधिवत आवेदन किया व मौका निरीक्षक व आवेदन व नक्शा फीस की रकम जमा करायी व नियमानुसार धारा 146 पंचायत राज अधिनियम के तहत 3 सदस्यों की कमेटी में मांगूदास, हेमराज, रोशनदास को नियुक्त किया गया व धारा 148 के तहत 01 माह की आपत्ति निकाली गयी व तत्पश्चात् तत्समय बाजार दर अनुसार विधिवत तौर पर 61,250/-रूपये गैर निगराकार सं. 01 से प्राप्त कर विधिवत पट्टा जारी किया गया है,

जो पंचायत राज नियमों की पालना करते हुये जारी करवाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। जिसे निगराकार किसी प्रकार से निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत 01 माह की आपत्ति आमंत्रित की गयी, जिसमें तथाकथित शिकायतकर्ता द्वारा अथवा अन्य किसी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी व उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में रजिस्ट्री भी करवा दी गयी है। गैर निगराकार सं. 01 का मौके पर कब्जा होकर बाऊण्डीवाल करवा रखी है। रामलाल सालवी की शिकायत पर जांच कार्यवाही होना बताया गया, जबकि गैर निगराकार सं. 01 को सुना ही नहीं गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाथडियास की पत्रावली सं. 44/2013 में कैलाश चन्द्र पुत्र भवाना रेगर निवासी नाथडियास ने कब्जेशुदा भूखण्ड का विद्यमान बाजार दर से क्रय करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क आवेदन फीस 10/- मौका निरीक्षण फीस 25/- रु. एवं नक्शा फीस 25/-रु. सहित कुल 60/-रु. जमा कराये। तदुपरान्त राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 के तहत कार्यवाही पूर्ण करके श्री कैलाश चन्द्र पुत्र भवाना रेगर निवासी नाथडियास को मुआफिक नक्शा एवं माप के अन्दर हल्का आबादी नाथडियास में नाथडियास रायपुर सडक के पास स्थित स्वयं के कब्जेशुदा भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 1225 वर्गफीट होकर इस भूखण्ड की तहसीलदार रायपुर से जारी नवीनतम डीएलसी दर रु. 50/- प्रति वर्गफीट (डीएलसी दर नाथडियास जोन क्रमांक 02 अविकसित क्षेत्र आवासीय प्रयोजनार्थ रु. 41/- प्रति वर्गफीट होने से) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कुल राशि रु. 61,250/-रु. अक्षरे इकसठ हजार दौ सौ पचास रूपये मात्र में प्राईवेट बातचित से बैचान किये जाने की निर्णय कोरम के प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 23.08.2013 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सम्पूर्ण रकम जमा होने एवं पंचायत समिति रायपुर से सक्षम स्वीकृति के उपरान्त प्रारूप 23 में प्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया।

निगराकार विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर ने उक्त पट्टे की भूमि रामलाल /नेनुराम सालवी निवासी नाथडियास के आराजी नं. 757,758,759 से सटी होने से एवं आ.नं. 802 बिलानाम दर्ज होने से पट्टे को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 इस प्रकार है -

156 प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण -

(1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये



श्रीलाल अति. जिला कलेक्टर
राज.
श्रीलाल अति. जिला कलेक्टर

निम्नलिखित मामलों में अंतरित कर सकेगी -

(क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और निलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो

(ख) जहां को अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा और

(ग) जहां तक नियम 144 के उप नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो ।

(2) किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी ।

(3) किसी बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्र के लिए नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी ।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम नाथडियास के आ.नं. 757,758,759 श्री रामलाल पिता नेनु मु. छगनी बेवा नेनु बलाई सा. देह खातेदार दर्ज हैं एवं आ.नं. 802 बिलानाम गे.मु. आबादी दर्ज रिकार्ड थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी रायपुर ने आदेश क्रमांक/प्रकरण सं. 81/17 दिनांक 29.06.2017 से ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी प्रयोजन हेतु आवंटन/आरक्षित की गयी। राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं. 1158 दिनांक 20.07.2017 से ग्राम पंचायत नाथडियास के आबादी हेतु दर्ज की गयी, जबकि ग्राम पंचायत नाथडियास ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 23.08.2013 को 1225 वर्गफीट आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टा दिनांक 23.08.2013 को ग्राम नाथडियास के आराजी नं. 802 बिलानाम गे.मु. आबादी दर्ज होकर सरकारी भूमि थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा बिलानाम आराजी नं. 802 ग्राम पंचायत नाथडियास के खाते में आबादी में दर्ज नहीं होने पर भी अवैध रूप से आवासीय पट्टा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया जाना प्रकट होता है।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज प्रकरण सं. 15/07 539 दिनांक 21.04.2015 की जांच जिला परिषद भीलवाड़ा के क्रमांक 276 दिनांक 15.05.2015 द्वारा श्री ओ.पी. सोनी कार्यवाहक पंचायत प्रसार अधिकारी से करायी गयी जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर ग्राम पंचायत नाथडियास की तत्कालीन सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार व तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार द्वारा परिवादी श्री रामलाल की आराजी सं. 757-758-759 से सटे हुये खसरा नं. 802 में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 156 में पट्टे जारी करना पाया जाने से सरपंच श्रीमती माया देवी सुथार के विरुद्ध राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की



जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर विवादित पट्टों के विरुद्ध राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका दायर करा कर पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुये क्रमांक/जिपभी/पंचा./01/2015-16/686/बी से विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित किया गया। जिसके संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर ने इस न्यायालय में दिनांक 29.02.2016 को गैर निगराकार के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है।

सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 1225 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड 61,250/-रु. जमा कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत आराजी नम्बर 802 में पट्टा जारी किया जो बिलानाम सरकारी भूमि है। आराजी सं. 802 दिनांक 20.07.2017 से पूर्व ग्राम पंचायत नाथडियास की आबादी भूमि नहीं होते हुये भी गैर निगराकार सं. 02 ने बिलानाम भूमि आराजी नं. 802 में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 23.08.2013 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया जो अवैध होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव -

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा जारी पट्टा सं. 92 दिनांक 23.08.2013 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय से तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाथडियास एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18/06/18
(एल.आर.गुजरवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा